राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक:एफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/राज.अधि.मंत्रा.च.बो./2018 दिनांक:06.03.2019

::आदेश::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) उद्योग प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में परिणाम के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14(32)(2)आरएसएसबी/अर्थना/उ.वि./भर्ती/पात्रता जांच/2018/3498 दि. 12.11.2018 की अभिशंषा एवं राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के प्रावधानानुसार पात्रता की जांच में पात्र पाए गये अभ्यर्थी श्री प्रमोद तिवाड़ी की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उद्योग प्रसार अधिकारी के पद के लिए पदस्थापन की अभिशंषा की गई थी। उक्त संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कार्मिक विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार श्री प्रमोद तिवाड़ी (भू.सै.) को उक्त पद के लिए अपात्र बताया गया है।

कार्मिक विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार श्री प्रमोद तिवाड़ी (भू.सै.) की अभिशंषा बोर्ड द्वारा निरस्त की जाकर श्री तिवाड़ी के स्थान पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14(32)(2) आरएसएमएसएसबी/अर्थना/उ.वि./भर्ती/पात्रता जांच/2018/292 दिनांक 26.02.2019 के द्वारा श्री भवानी सिंह (भू.सै.) रोल नम्बर 448031 का श्रेणीवार वरीयता क्रम से अभिशंषा हेतु चयन किया जाकर पदस्थापन की अभिशंषा की है। अतः निम्नांकित सफल अभ्यर्थी को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी उद्योग प्रसार अधिकारी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से प्रभावी होगी:–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्म तिथि	रोल नं.	मेरिट नं. / श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री रोतान सिंह गांव–पांचुडाला, तहसील–कोटपूतली, जिला–जयपुर, 303110 मो.–8619173527	10.05.1979	448031	1048	जिला उद्योग केन्द्र भिवाड़ी में उद्योग प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर

नियुक्ति की शर्तें:–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2013 Pt दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वह ही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होंगी।
4. यह नियुक्ति अस्थाई है। उक्त अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।
5. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के उद्योग प्रसार अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेंगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
7. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
8. राज्य सरकार के कार्मिक (क–2)विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ13(1) एफडी/रूल्स/03 दिनांक 02.08.2005 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
11. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 04 सप्ताह में कार्यग्रहण नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रस्तुत करते है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(कृष्णा कान्त पाठक)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक:एफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/राज.अधि.मंत्रा.च.बो./2018 दिनांक: 06.03.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, उद्योग ग्रुप–2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।
4. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग,संस्थापन।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करेंगे तथा दहेज न लेने का शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी सूचना प्राप्त करना एवं इस सेवा से पूर्व किसी अन्य राजकीय सेवा में चयन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं कार्यग्रहण करने की सूचना मुख्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।
7. सबंधित कार्मिक श्री भवानी सिंह पुत्र श्री रोतान सिंह, गांव–पांचुडाला, तहसील– कोटपुतली, जिला– जयपुर, 303110।
8. श्री प्रमोद तिवाड़ी पुत्र श्री जगन प्रसाद तिवाड़ी, प्लॉट नं. 183, नेहरू नगर, एन ई वी के पीछे, जिला– अलवर, 301001 को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.12.2018 के क्रम में प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

6/3/2019
(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग